भारत सरकार

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या : 4408

उत्तर देने की तारीख : 19.03.2026

एमएसएमई योजनाओं के अंतर्गत धोखाधड़ी

4408. श्री सुदामा प्रसाद :

क्या **सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार को हाल के ऐसे मामलों की जानकारी है जिनमें सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम (एमएसएमई) योजनाओं के अंतर्गत ऋण और उधार की सुविधा प्रदान करने का दावा करने वाले फर्जी लोगों द्वारा व्यक्तियों और संस्थाओं को धोखा दिया गया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) विगत पांच वर्षों के दौरान देश भर में राज्य-वार ऐसे कुल कितने मामले सूचित किए गए/दर्ज किए गए हैं और इसमें कितनी धनराशि शामिल है, किन योजनाओं के नाम का दुरुपयोग किया गया है और इस संबंध में क्या कार्रवाई की गई है;

(ग) क्या सरकार के पास एमएसएमई और सरकारी योजनाओं अथवा एमएसएमई ऋण संबंधी अन्य पहलों के नाम और 'लोगो' का दुरुपयोग करने वाली चिह्नित की गई फर्जी एजेंसियों/मध्यस्थों के संबंध में आंकड़े उपलब्ध हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) क्या सरकार का सुरक्षा बढ़ाने, एमएसएमई लाभार्थियों को फंसाने वाले धोखेबाजों के लिए दंड में वृद्धि करने और वास्तविक एमएसएमई उद्यमियों को ऐसी धोखाधड़ी से बचाने के लिए एक समिति गठित करने या कोई विधायी या नीतिगत बदलाव करने का विचार है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम राज्य मंत्री

(सुश्री शोभा करांदलाजे)

(क) से (घ) : सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय (एमएसएमई) की क्रेडिट संबंधी सभी स्कीमों को बैंकों / वित्तीय संस्थानों के माध्यम से कार्यान्वित किया जाता है। इसके अतिरिक्त, एमएसएमई मंत्रालय, अपने क्षेत्रीय कार्यालयों के माध्यम से, संबंधित राज्यों / संघ राज्य क्षेत्रों के एमएसएमई / उद्योग विभागों और अन्य हितधारकों जैसे सूक्ष्म और लघु उद्यमों के लिए क्रेडिट गारंटी फंड ट्रस्ट (सीजीटीएमएसई), भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक (सिडबी), बैंकों, एमएसएमई संघों आदि के समन्वय में देश में एमएसएमई के बीच जागरूकता पैदा करने और जानकारी प्रसारित करने के लिए नियमित रूप से आउटरीच कार्यक्रम आयोजित करता है। एमएसएमई मंत्रालय ने दिनांक 18.09.2020 के पत्र संख्या 1(12)/सीएलसीएसएस/विविध/फर्जी ऋण/2020-21 के माध्यम से सभी एमएसएमई को सलाह दी है कि वे ऐसे धोखेबाजों द्वारा सीधे या वेबसाइट/फोन कॉल आदि के माध्यम से किए गए प्रस्तावों का शिकार न हों।
